छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>*अपील प्रकरण कमांक 725/2007*</u>

1. **श्री ललित चन्द्रनाहू,** – *अपीलार्थी*
स्टेशन मार्ग,
महासमुंद, (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी*** – *प्रति अपीलार्थी*
कलेक्टर कार्यालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//
(दिनांक 25 जून, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री ललित चन्द्रनाहू ने सूचना प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, रायपुर के समक्ष दिनांक 20.11.2006 को आवेदन प्रस्तुत किया था । उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नही होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 24.01.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर दिनांक 09.03.2007 के द्वारा अपील स्वीकार करके सूचना प्रदान करने के आदेश दिये गये, किन्तु उसके पालन में भी सूचना नही मिलने के कारण उनके द्वारा असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 19.07.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्को का श्रवण किया गया । प्रकरण में विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी को पंद्रह हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसके उत्तर में उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने प्रभारी अधिकारी, वित्त शाखा को पत्र भेजा था और स्मरण पत्र भी भेजा गया था, किन्तु उनकी ओर से कोई जानकारी प्राप्त नही हुई तथा विलंब उन्हीं के द्वारा किया गया है । उक्त उत्तर को देखते हुए जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया गया और प्रभारी अधिकारी, वित्त शाखा को पंद्रह हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । साथ ही विलंब के कारण अपीलार्थी हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत कलेक्टर कार्यालय की ओर से राशि 400/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये गये । प्रकरण में प्रभारी

अधिकारी, वित्त शाखा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में अन्य व्यक्तियों से संबंधित जानकारी होने के कारण वांछित जानकारी दिया जाना संभव नही था, ऐसा उत्तर दिनांक 20.12.2007 को जन सूचना अधिकारी शाखा को प्रेषित किया था, किन्तु अपील आदेश के बाद संबंधित लिपिकों की सर्विस बुक और व्यक्तिगत नस्ती संबंधित शाखा में उपलब्ध नही होना पाया और जिसे संधारित करने में थोड़ा समय लग गया तथा उक्त कार्य सदभावनापूर्वक किया गया और थोड़ी असावधानी रही । उपरोक्त उत्तर को देखते हुए प्रकरण में शास्ति की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है, अतः उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है, किन्तु कलेक्टर, रायपुर को धारा-20(2) के अन्तर्गत यह निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरण में यह जॉँच करें कि जो जानकारी बाद में दी गई, वह पूर्व में संधारित क्यों नही थी, उसके लिए जो भी कर्मचारी उत्तरदायी हो, उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । चूंकि प्रकरण में अब जानकारी दी जा चुकी है, जिसे अपीलार्थी ने भी मौखिक तर्क में स्वीकार किया है, अतः अब प्रकरण में अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नही रहती है । क्षतिपूर्ति के संबंध में जो आदेश दिये गये थे, यदि उसका भुगतान नही किया गया हो तो अब तत्काल भुगतान किया जावे ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त